सत्यमेव जयते

**प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),**
**आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.**

**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),**
**ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.**

PM/VI/2014-15/OG-GO/

**दिनांक / Date :**

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th Floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
HYDERABAD

Sir,

Sub: Grant of DR @ 100% from 1.1.14 to Uttarakhand pensioners
Ref: 1. No 93/xxxvii/02/2013 dt 25.03.2014 from the Government of Uttarakhand
2. PA/DR/UK/2014-15/27 dt 03.04.2014 from the Principal Accountant General, (A&E) Uttarakhand.

***

I am to enclose herewith a Special Seal Authority issued by the Principal Accountant General (A&E), Uttarakhand in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer

*Copy to*
The Joint Director
Pension Payment Office
MJ Road, Nampally
HYDERABAD for information and necessary action.

Sr. Accounts Officer

**दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in**
**Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts**

46343237ч 8/4


**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, देहरादून**

(ओबराय मोटर्स, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248171)

फोन नं0: 0135–2644967, फैक्स नं0: 0135–2644965


**"विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र के अन्तर्गत"**

323025 24/4/14

पत्रांकः पी.ए. / पेंशन / राहत / उत्तराखण्ड / 2014-15/27 दिनांकः 03-04-14

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार / महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),

आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद

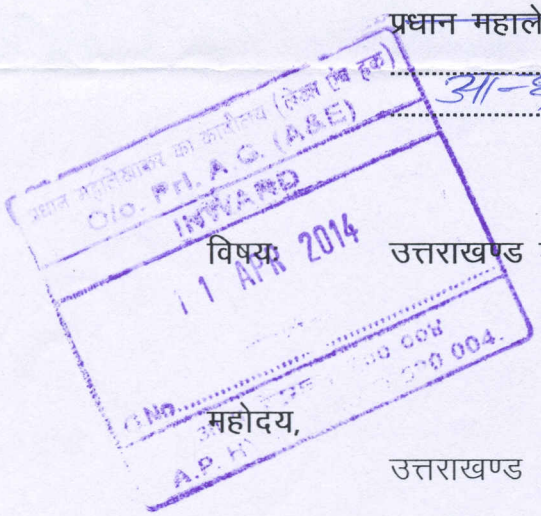

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक) O/o. Prl. A.G. (A&E) INWARD 11 APR 2014 A.P. H... 500 004.

विषयः उत्तराखण्ड शासन के बढ़े मंहगाई भत्ते के शासनादेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 93 / xxvii(7)02 / 2013 दिनांक 25.03.2014 एवं 70 / xxvii(7)02 / 2010 दिनांक 04.03.2014 को आपको इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि इन्हें आप अपने राज्य के सभी कोषागारों को भिजवाने की व्यवस्था करें, ताकि आपके राज्यों से पेंशन प्राप्त कर रहें उत्तराखण्ड राज्य के सभी पेंशनरों को इसका लाभ मिल सकें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार (2)

भवदीय,

राजेन्द्र सिंह नेगी

लेखाधिकारी / पेंशन

PH

543

23

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 70 /xxvii(7)02/2010
देहरादून, दिनांकः04 मार्च, 2014

कार्यालय ज्ञाप

राज्य सरकार के पुनरीक्षित/अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/परिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति संबंधी कार्यालय ज्ञाप संख्या–761/xxvii(7)02/2013 दिनांक 24–10–2013 के प्रस्तर–1 अंतिम दो पंक्तियों को हिन्दी आलेख के समान अंग्रेजी आलेख में मंहगाई राहत की दर जो क्रमशः 80 प्रतिशत एवं 166 प्रतिशत अंकित की गयी थी, को क्रमशः 90 प्रतिशत एवं 183 प्रतिशत संशोधित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उक्त कार्यालय ज्ञाप अंग्रेजी आलेख में इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

(एल0एन0 पन्त)
अपर सचिव।

संख्याः– 70 /xxvii(7)02/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।।।
3. क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
4. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक, लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला देहरादून।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।

DR 155 27/3/14

आज्ञा से,

(के0पी0 पाटनी)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0)अनुभाग–7
संख्या–93 / xxvii (7)02 / 2013
देहरादूनः दिनांकः25 मार्च, 2014

**कार्यालय ज्ञाप**

विषयः राज्य सरकार के पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 761/xxvii(7)02/2013, दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 द्वारा दिनांक 01–07–2013 से मंहगाई राहत पुनरीक्षित पेंशनरों की 90 प्रतिशत से अनुमन्य किया गया है, के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय द्वारा राज्य सरकार के उपरोक्त उल्लिखित पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए दिनांक 01–01–2014 से 100 प्रतिशत दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान क अन्तर्गत मंहगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No 93 /xxxvii(7)02/2013
Dehradun: Dated:25 March, 2014

**Office Memorandum**

Subject:- Grant of Dearness Relief to state Government Revised Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No-761/xxvii(7)02/2013, dated: 24 October, 2013 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief for revised pension at the rate of 90 % with effect from 01-07-2013 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all as above subject pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of 100% respectively with effect from 01 January, 2014, in super session of the rates mentioned in the O.M. dated 24, October, 2013 referred as above.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, of to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking /corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective .

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in Om No-A-1-252/x-10(3)-18, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Rakesh Sharma)
Addl. Chief Secretary